पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 7005 /स्था०एक/यु०पे०/2022–23 दिनांक 08 दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या 1596/XV–1/2022–7(3)/2022 दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के द्वारा प्राप्ति स्वीकृति के क्रम में "मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर (संशोधन) नीति, 2020 के अन्तर्गत इच्छुक 02 युवा पेशेवर जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही योजनाओं और परियोजनों के अनुश्रवण, मुल्यांकन कार्य/सर्वेक्षण, सामान्य कार्यालय कार्यों के निष्पादन में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो, निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं।

1. इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र **निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड "प्रशासनिक भवन" मोथरोवाला, देहरादून के पते पर** दिनांक 28.12.2022 को सांय 05.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा उपलब्ध करा दें, तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
2. विज्ञापन का पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाइट **www.ahd.uk.gov.in** डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदनों को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

नोट : इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु दूरभाष संख्या 0135–2532809 पर किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड

एतंतद्वारा पशुपालन विभाग में परियोजनाओं के मूल्यांकन, अध्ययन तथा कार्यालय के सामान्य कार्य एवं अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु ''मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर (संशोधन) नीति 2020 के अन्तर्गत ग्यारह माह के लिए दो युवा पेशेवरो हेतु आवेदन आंमत्रित किये जाते है–

आवश्यक दिशा निर्देश–

1. युवा पेशेवरो के कार्य किये जाने की अवधि ग्यारह माह निर्धारित है।
2. युवा पेशेवर कार्यक्रम के अधीन, आवेदको के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किये गये है। सभी युवा पेशेवरों के लिए आवश्यक है कि वे–

   क. भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि धारक (न्यून्तम 50 प्रतिशत) धारक हो:

   परन्तु, प्राप्तांक, राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियो के लिए (न्यून्तम 45 प्रतिशत)।

   ख. श्रेष्ठता की गणना स्नातक व परास्नातक में प्राप्त अंको तथा कार्य अनुभव के आधार पर की जायेगी। विशेष कार्य अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी।

   ग. विज्ञापन की तिथि को आयु 22 से 30 वर्ष के मध्य हो।

   घ. योजनाओं और परियोजनाओं के अनुश्रवण, मूल्यांकन कार्य/सर्वेक्षण, समान्य कार्यालय कार्यो के निष्पादन करने में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

   ड़. युवा पेशेवर को हिन्दी, अंग्रेजी, कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान आवश्यक होगा।
3. आवेदक के विरूद्ध पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही न होने तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही लम्बित न होने का स्व प्रमाणित प्रमाणपत्र आवेदन के साथ उपलब्ध कराना होगा।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच (Scrutiny) के उपरान्त अर्हलाभार्थी को साक्षात्कार हेतु आंमत्रित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक को डाक/ई–मेल के द्वारा सूचना दी जायेगी (अतः आवेदक ई–मेल को निरन्तर रूप से चेक करे)।
5. साक्षात्कार में चयनित आवेदको को सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्व होने का सम्पादन के दौरान किसी विपरीत कार्यो में संलग्न पाये जाने/कार्यो में शिथिलता पाये जाने की स्थिति में युवा पेशेवर को कभी भी हटाया जा सकता है।
6. युवा पेशेवर द्वारा निर्धारित अवधि पूरा न करने पर युवा पेशेवर को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी/युवा पेशेवर को प्रतिमाह रू० 35,000/– (रू० पैंतीस हजार) की एक टोकन वृत्ति का मासिक रूप से निर्धारित है। यदि कोई पेशेवर मध्य में ही, अर्थात सत्र (11 माह) के पूर्ण होने से पहले ही छोड़ देता है तो वह अवशेष वेतन तथा प्रमाण पत्र का हकदार नहीं होगा।
8. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर (संशोधन) नीति 2020 में उल्लिखित ''युवा पेशेवरो के दायित्वो'' का निर्वहन किया जाना होगा।

9. युवा पेशेवर को निर्दिष्ट कार्यों के अन्तर्गत किये जाने वाले क्षेत्र कार्य (Field Work) हेतु टी०ए०/डी०ए० क्रमश : रू. 100 तथा रू. 200 प्रतिदिन देय होगा।

10. आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर Annexure B पर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड ''प्रशासनिक भवन'' मोथरोवाला, देहरादून के पते पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

11. आवेदनों को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार पशुपालन विभाग के पास सुरक्षित होगा।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में पशुपालन निदेशालय, मोथरोवाला, देहरादून के दूरभाष नं०–0135 2532809 से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

Format
Annexure B

"मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर (संशोधन) नीति, 2020" के तहत
<u>आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप</u>

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पत्राचार हेतु पता :
4. स्थाई पता :
5. ई-मेल :
6. मोबाईल नम्बर :
7. जन्मतिथि :
8. शैक्षिक योग्यता :

अभ्यर्थी की स्वः प्रमाणित फोटोग्राफ

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	प्राप्तांक/ प्रतिशत	विषय

9. युवा पेशेवर अवधि :
10. अनुभव (यदि कोई हो) :
11. आपने युवा पेशेवर का चयन क्यों किया है (चयनित सेक्टर के सम्बन्ध में अधिकतम 100 शब्दो का उल्लेख पृथक पृष्ठ में संलग्न करे) :
12. आवेदक, अपनी दो फोटो, आधारकार्ड की छाया प्रति तथा विश्वविद्यालय/ संस्थान का परिचय पत्र (अध्ययनरत् होने की स्थिति में) संलग्न करेगा।
13. आवेदक इस आशय का स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करेगा कि उसके विरूद्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कोई दण्डात्मक

कार्यवाही नहीं की गयी है तथा उसके विरूद्ध कोई पुलिस केस नहीं है।

14. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की ''मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड पेशेवर (संशोधन) नीति, 2020'' के अन्तर्गत किसी भी विभाग/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कार्यालय में कार्य नहीं किया गया है।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम)